राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :– 494 / 2015

बाबूलाल शर्मा **–अपीलार्थी**

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये प्रमुख शासन सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायत राज विभाग, राजस्थान सरकार, सचिवालय, जयपुर।
2. निदेशक, पेंशन एवं पेंशनर्स कल्याण विभाग, ज्योति नगर, जयपुर।

–प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 17.06.2015
आदेश की दिनांक : 20.07.2023

उपस्थित –
अपीलार्थी की ओर से : श्री बी.बी.एल. शर्मा, अभिभाषक
प्रत्यर्थी विभाग की ओर से : श्री जगन्नाथ खण्डप्पा, राजकीय अधिवक्ता

समक्ष :– शुचि शर्मा, सदस्य
लेखराज तोसावड़ा, सदस्य

आदेश

प्रस्तुत अपील में अपीलार्थी ने यह अनुतोष चाहा है कि अपील स्वीकार कर कटौती राशि रूपये 3,54,745 / – जो सेवानिवृत्ति लाभ अपीलार्थी को दिया गया है, को रोका जावे और प्रत्यर्थी विभाग को यह निर्देश दिए जावें कि उक्त राशि पर 9 प्रतिशत वार्षिक ब्याज देते हुए उक्त राशि को वापिस लौटाया जावे।

अपील के तथ्य संक्षेप में निम्न प्रकार हैं :–

अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता का कथन है कि अपीलार्थी प्रत्यर्थी विभाग के अधीन ग्राम सेवक के पद से दिनांक 31.05.2013 को पंचायत समिति, बांदीकुई, जिला दौसा से सेवानिवृत्त हुआ है। पेंशन विभाग द्वारा आदेश दिनांक 03.02.2014 के द्वारा अपीलार्थी की राशि रूपये 3,54,745 / – ग्रेच्युटी राशि में से आदेश दिनांक 11.04.2014 के द्वारा कटौती कर ली गई। कुल राशि रूपये 4,41,675 / – में से रूपये 3,54,745 / – कटौती कर राशि रूपये 86,930 / – अपीलार्थी को दी गई। जबकि अपीलार्थी को पेंशन विभाग द्वारा अपना पक्ष रखने का कोई मौका नहीं दिया गया और अपीलार्थी दिनांक 31.05.2013 को सेवानिवृत्त हो गया। जबकि अपीलार्थी के विरूद्ध न तो कोई जांच लम्बित है और न ही कोई शिकायत दर्ज की गई है। अपीलार्थी ने प्रत्यर्थी विभाग के समक्ष अपना मामला प्रस्तुत किया। परंतु कोई निराकरण नहीं किया गया, तदुपरान्त अपीलार्थी ने अपने विद्वान् अधिवक्ता द्वारा

न्याय की मांग का नोटिस प्रत्यर्थी विभाग को दिनांक 01.06.2015 को भिजवाया और अधिकरण के समक्ष अपील प्रस्तुत करते हुए प्रार्थना की है कि अपील स्वीकार कर कटौती राशि रूपये 3,54,745/– जो सेवानिवृत्ति लाभ अपीलार्थी को दिया गया है, को रोका जावे और प्रत्यर्थी विभाग को यह निर्देश दिए जावें कि उक्त राशि पर 9 प्रतिशत वार्षिक ब्याज देते हुए उक्त राशि को वापिस लौटाया जावे।

प्रत्यर्थी विभाग के विद्वान् राजकीय अधिवक्ता ने अपील का लिखित जवाब प्रस्तुत करते हुए यह प्रतिवाद किया है कि अपीलार्थी नगर पालिका/परिषद में अधिशेष था। पंचायत राज विभाग के अधीन ग्राम सेवक पदेन सचिव के पद अधिशेष कर्मचारी समायोजन संबंधित ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग द्वारा शर्तों को अंगीकार/स्वीकार करते हुए विभाग में कार्यग्रहण किया और अपीलार्थी को समायोजित किया। समायोजन पर कार्यभार ग्रहण तिथि से ही समस्त परिलाभ प्रभावी और देय हैं। विभाग द्वारा संवहन से हुई त्रुटि को सुधार करते हुए अपीलार्थी को सेवा में रहते हुए प्रदत्त की गई ज्यादा राशियों की वसूली करते हुए सेवानिवृत्ति संबंधित परिलाभ देय किए गए, जिसे स्वीकार करते हुए विगत दो वर्षों से अपीलार्थी निरंतर पेंशन प्राप्त करता आ रहा है। अपीलार्थी की विधि सम्मत बकाया राशि के संबंध में की गई कटौती/वसूली पूर्णतया नियमानुसार है और इस प्रकार अपीलार्थी की अपील खारिज फरमाई जावे।

हमनें उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस सुनी एवं पत्रावली में उपलब्ध समस्त दस्तावेजों का ध्यानपूर्वक अवलोकन कर मनन किया।

प्रकरण के तथ्यों, अभिवचनों एवं अभिलेख से यह प्रकट होता है कि अपीलार्थी ग्राम सेवक के पद से दिनांक 31.05.2013 को सेवानिवृत्त हुआ है। पेंशन विभाग द्वारा आदेश दिनांक 03.02.2014 के द्वारा अपीलार्थी की राशि रूपये 3,54,745/– ग्रेच्युटी राशि में से आदेश दिनांक 11.04.2014 के द्वारा कटौती कर ली गई। जहां तक अपीलार्थी से राशि रूपये 3,54,745/– वसूली किए जाने का प्रश्न है, कार्यालय पंचायत समिति, बांदीकुई दौसा के आदेश दिनांक 24.12.2013 के अवलोकन से यह स्पष्ट रूप से प्रकट होता है कि अपीलार्थी को 27 वर्षीय चयनित वेतनमान का लाभ दिनांक 02.02.2006 को स्वीकृत किया गया था। पूर्व की सेवाएं नगर पालिका में होने एवं अधिशेष होने पर इस कार्यालय में दिनांक 27.05.2000 को कार्यग्रहण करने पर पंचायती राज विभाग के आदेश दिनांक 07.04.2001 के अनुसार कार्यग्रहण तिथि 27.05.2000 से देय होने के कारण अपीलार्थी से रूपये 3,54,745/– की वसूली निकाली गई। राज्य सरकार के वित्त विभाग के परिपत्र

दिनांक 17.08.2016 के पैरा संख्या 3 के बिंदु संख्या 2 व 3 में निम्नलिखित उल्लेख है :—

> "(ii) *Recovery from retired employees, or employees who are due to retire within one year, of the order of recovery.*
>
> (iii) *Recovery from employees, when the excess payment has been made for a period in excess of five years, before the order of recovery is issued."*

इसी प्रकार माननीय उच्च न्यायालय द्वारा विभिन्न विनिश्चयों में जैसे ए.आर. घोष बनाम राज्य व अन्य एस.बी.सिविल रिट याचिका संख्या 1443/1997, अपील संख्या 2022/2008 महेश कुमार पुरोहित बनाम मुख्य अभियंता पीडब्ल्यूडी एवं अपील संख्या 1926/2013 मान सिंह बनाम राज्य में सिद्धांत प्रतिपादित किया है। इसी प्रकार ऐसे मामलों में कार्मिकों को पूर्व में भुगतान की गई राशि की वसूली किए जाने के प्रकरण में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने **पंजाब राज्य बनाम रफीक मसीह 2015 (1) SCT 195** के प्रकरण में कार्मिक को भुगतान की गई राशि के सम्बन्ध में निम्न सिद्धान्त प्रतिपादित किए हैं :—

> ***"12. It is not possible to postulate all situations of hardship, which would govern employees on the issue of recovery, where payments have mistakenly been made by the employer, in excess of their entitlement. Be that as it may, based on the decisions referred to herein above, we may, as a ready reference, summarise the following few situations, wherein recoveries by the employers, would be impermissible in law:***
>
> ***(i) Recovery from employees belonging to Class-III and Class-IV service (or Group 'C' and Group 'D' service).***
>
> ***(ii) Recovery from retired employees, or employees who are due to retire within one year, of the order of recovery.***
>
> ***(iii) Recovery from employees, when the excess payment has been made for a period in excess of five years, before the order of recovery is issued.***
>
> ***(iv) Recovery in cases where an employee has wrongfully been required to discharge duties of a higher post, and has been paid accordingly, even though he should have rightfully been required to work against an inferior post.***
>
> ***(v) In any other case, where the Court arrives at the conclusion, that recovery if made from the employee. would be iniquitious or harsh or arbitrary to such an***

extent, as would far outweigh the equitable balance of the employer's right to recover."

यह कार्यवाही प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त के विपरीत है। उन्होने आगे यह भी तर्क दिया कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने **पंजाब राज्य बनाम रफीक मसीह 2015 (1) SCT 195** वाले प्रकरण में यह अवधारित किया है कि इस प्रकार मामलों में वसूली नहीं की जा सकती है। अपीलार्थी ने कभी भी कोई misrepresentation या धोखाधड़ी नहीं की है और न ही अपीलार्थी को कोई सुनवाई का अवसर दिया गया। इस प्रकार प्रत्यर्थी विभाग द्वारा सीधे ग्रेच्युटी राशि से अतिरिक्त वसूली की कटौती किया जाना विधि के विरूद्ध है। जहां तक वसूली गई राशि पर 9 प्रतिशत वार्षिक ब्याज दिए जाने का प्रश्न है, हमारे मत में वित्त (नियम) विभाग के परिपत्र दिनांक 07.06.2004 एवं राजस्थान सिविल सेवा पेंशन नियम 1996 के नियम 89(1) के अनुसार उपदान की राशि पर 9 प्रतिशत वार्षिक ब्याज दिए जाने का प्रावधान है।

उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है और प्रत्यर्थी विभाग को यह निर्देश दिए जाते हैं कि प्रत्यर्थी विभाग द्वारा अपीलार्थी से जो राशि रूपये 3,54,745/– उसके ग्रेच्युटी राशि से वसूली की गई है, उसे वापिस लौटाई जावे और उक्त राशि पर वसूली तिथि से राजस्थान सिविल सेवा पेंशन नियम 1996 के नियम 89(1) के तहत नियमानुसार 9 प्रतिशत वार्षिक ब्याज भी दिया जावे। उक्त निर्देशों के साथ अपील अंतिम रूप से निस्तारित की जाती है। उक्त निर्देशों की पालना इस आदेश के जारी होने की दिनांक से तीन माह में सुनिश्चित की जावे।

(लेखराज तोसावड़ा)
सदस्य

(शुचि शर्मा)
सदस्य